न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27 / 2016 (उदयपुर आर्डर)

1. पी. वैथिलिंगम पिल्लै पिता डी. परमशिवम पिल्लै, जाति पिल्लै, निवासी मकान नंबर 64, नाकोडा भेरवाय नगर, बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुरेश पिता धनराज जी शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी पुरानी बैंक गली कानुपर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जसवीरसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत, जाति राजपूत, निवासी किशनपुरा, देसुरी, जिला पाली हाल निवासी गोविन्द नगर, सेक्टर नंबर 13, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 27.06.2016, प्र॰सं॰ 45 / 14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 24–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के दो भूखण्ड राजस्व ग्राम बेड़वास में स्थित हैं,

जिनके आराजी नंबर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर कुल किता 12 रकबा 1.5100 हैक्टर है। उक्त आराजियात में से प्रार्थी ने 1/101 वां हिस्सा यानि 0.0149 हैक्टर भूमि श्रीमती नारायणीबाई पत्नी मांगीलाल प्रजापत से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04–07–2012 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनाकर फाटक लगा रखा है। उक्त आराजियात कई क्रेताओं द्वारा क्रय करने के पश्चात हस्तिनापुर नाम की हाउसिंग सोसाइटी बनायी गयी एवं सभी क्रेताओं ने आपस में विभाजन कर रखा है। प्रार्थी द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड संख्या 16 व 17 हैं एवं उसी पर उसका कब्जा है, किन्तु विपक्षीगण ने इसी सोसाइटी के भूखण्डों में से क्रेताओं की सूची में क्रम संख्या 15 पर अंकित श्री ओमप्रकाश एव ंक्रम संख्या 25 पर अंकित श्री भंवरलाल से भूखण्ड क्रय किये, जो बिना अधिकार के हैं। जिसकी आड़ में विपक्षीगण मौके पर बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त करन रहे हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक हैं तथा इस संबंध में थाने में भी कार्यवाही की गयी, फिर भी विपक्षीगण भूखण्डों को अतिक्रमण करने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूखण्ड में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा प्रार्थी को बेदखल नहीं करें।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 14–09–2016 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 05–09–2016 को हुई। तत्पश्चात् उनके द्वारा नकले प्राप्त की अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ विक्रय पत्र, बंटवारानामा, साईड प्लान, जमाबन्दियां एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये तथा न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

उक्त दस्तावेजों का हमारे द्वारा अवलोकन किये जाने पर यह पाया कि विक्रय पत्र, बंटवारानामा एवं साईड प्लान नोटरी से प्रमाणित हैं, जिन्हें रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता तथा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स भी किसी आराजी बाबत् हैं यह स्पष्ट नहीं है अतः उन्हें भी रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है, किन्तु प्रस्तुत जमाबन्दियां सत्य प्रतियां होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट दिनांक 22–06–2016 को चेन्नई में थे, परन्तु 23–06–2016 को सम्मन किसी पड़ोसी को देकर चले गये, जिसका पता अपीलान्ट को नहीं चल पाया। फिर भी इस मामले में बिना नोटिस के कैम्प लकड़वास में दिनांक 27–06–2016 को रखकर अपीलान्ट को बिना सुने एवं उनकी अनुपस्थिति में निर्णित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि इस न्यायालय में प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार अपीलान्टगण विवादित आराजियात के सहखातेदार हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रकरण लम्बे समय से जवाब में विचाराधीन है इस आधार पर विपक्षीगण के जवाब के अवसर

बन्द किया है, जो उपस्थित साक्ष्यों अनुसार है। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढ़े इस हेतु मूलवाद के निस्तारण तक प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, क्योंकि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित है। इसलिए यदि उसके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो दावे का अर्थ थी समाप्त हो जायेगा। यदि अपीलान्टगण विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार रखते हैं तो इसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य लेने के बाद ही संभव होगा। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, वह विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–06–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर